प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
ग्राम्य विकास.

सेवा में,

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
   उत्तरांचल.
2. समस्त परियोजना निदेशक,
   जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
   उत्तरांचल
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
   उत्तरांचल.

वन एवं ग्राम्य विकास शाखाः देहरादूनः दिनांकः 28, जून, 2002

महोदय,

सुश्री आशा स्वरूप, संयुक्त सचिव (एस.जी.एस.वाई) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 28012 / 16 / 2001–एस.जी.एस.वाई–**II** दिनांक मई 27, 2002 द्वारा अवगत कराना है कि एस.जी.एस.वाई योजनान्तर्गत "स्वयं सहायता समूह आन्दोलन एवं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" पर विगत वर्ष आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर कार्य कर रहे ग्रुप की संस्तुतियों के आधार पर कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एस.जी.एस.वाई. मार्ग निर्देशिका में निम्न संशोधन प्रस्तावित किये गये है:

1. मुख्य क्रिया–कलापों की संख्याः

   विकासखण्डवार अधिकतम 10 मुख्य क्रिया–कलाप लिये जा सकते हैं, किन्तु फोकस 4–5 पर ही किया जाये.

2. आर्थिक क्रिया–कलाप अनुसार आय वृद्धि :

स्वरोजगारियों द्वारा ऐसे आर्थिक क्रिया–कलाप लिये जायें, जिनसे अपेक्षित आय वृद्धि हो तथा एक निश्चित अवधि में स्वरोजगारी गरीबी की रेखा से ऊपर उठे. डी.आर.डी.ए. ऐसी परियोजनाओं का स्वरोजगारियों से परिचय कराये.

3. स्वयं सहायता समूहों का आकार:

हालांकि स्वयं सहायता समूह में प्रायः 10 से 20 सदस्य होते हैं, किन्तु कठिन क्षेत्रों में जैसे राजस्थान, पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ पर कि जनसंख्या बिखरी हुई तथा परिवार दूर–दूर रहते हों, विकलांग तथा लघु सिंचाई समूह की भांति उन क्षेत्रों में समूह के सदस्यों की संख्या 5 से 20 हो सकती है बशर्ते कि कठिनाई वाले क्षेत्रों की पहचान एस.जी.एस.वाई. की राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा की जाये.

4. स्वयं सहायता समूहों में सम्मिश्रण:

यूं तो स्वयं सहायता समूह के सदस्य बी.पी.एल. परिवार से होते हैं, किन्तु यदि कहीं पर नितान्त आवश्यक हो तो 20 प्रतिशत ऐसे बी.पी.एल. तथा ए.पी.एल. की सीमान्त वाले ऐसे परिवारों को जो सर्वदा बी.पी.एल. परिवारों के साथ रह रहे हों, ए.पी.एल. परिवारों से लिये जा सकते हैं, किन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि ऐसे ए.पी.एल परिवार के सदस्य न तो समूह के महत्वपूर्ण पदों पर रहेंगे और न ही उन्हें आर्थिक क्रिया–कलाप हेतु अनुदान दिया जायेगा.

5. धनराशि उपयोग हेतु नियमों में सरलीकरण:

पूर्व निर्धारित मदवार धनराशि के व्यय में सरलता लाते हुये अब धनराशि का उपयोग प्रशिक्षण, रिवाल्विंग फण्ड, अनुदान तथा अवस्थापना मद में राज्यों को सुविधानुसार किया जा सकेगा, किन्तु अवस्थापना मद में 20 प्रतिशत से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जा सकेगी.

उत्पादन विपणन, शोध तथा मूल्यों के अध्ययन आदि पर रूपये 5.00 लाख प्रतिवर्ष एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से मार्केटिंग रिसर्च वैल्यू एडीशन आदि पर व्यय किया जा सकेगा, जिससे स्वरोजगारियों की आय में अतिरिक्त वृद्धि की जा सकेगी.

6. स्वयं सहायता समूहों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुदान के मानक:

सामान्य जाति के व्यक्तिगत स्वरोजगारियों हेतु 30 प्रतिशत अथवा 7520 जो भी कम हो, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अपंग व्यक्तियों हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10,000.00 जो कम हो देय होगा. समूह के लिए अनुदान योजना लागत का 50 प्रतिशत, समूह के सदस्यों की संख्या के अनुरूप रूपये 10,000.00 प्रति सदस्य अथवा रूपये 1,25,000.00 जो भी कम हो दिया जायेगा. सिंचाई परियोजनाओं हेतु अनुदान की सीमा नहीं होगी.

7. प्रशिक्षण पर व्यय:

डी.आर.डी.ए. जागरूकता प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास प्रशिक्षण दोनों हेतु धनराशि योजना में निम्न प्रकार मानकों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं:

1. यदि संस्थागत प्रशिक्षण में ये प्रशिक्षणार्थी को आवासीय एवं भोजन की सुविधा नहीं दी जाती है तो रूपये 15 प्रति प्रशिक्षण प्रति दिन दिया जायेगा किन्तु यदि संस्था द्वारा भोजन एवं आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो रूपये 35 प्रति प्रशिक्षण प्रति दिन देय होगा. यदि संस्था द्वारा आवास एवं भोजन व्यवस्था नहीं दी जाती है तो प्रतिभागी को रूपये 25 प्रति प्रशिक्षण प्रति दिन दिया जायेगा तथा स्वरोजगारी को आने–जाने का एकतरफा किराया उसके आवास से प्रशिक्षण केन्द्र तक दिया जायेगा.

2. क्षमता विकास में लगे हुये मास्टर क्राफ्टमैन को रूपये 200.00 प्रति प्रशिक्षण प्रति माह मानदेय के रूप में दिये जायेंगे और स्वरोजगारी को 100.00 रूपये प्रति माह कच्चे माल आदि के क्रय हेतु भत्ते के रूप में दिये जायेंगे. प्रतिबन्ध यह है

कि जागरूकता प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास प्रशिक्षण दोनों में प्रति प्रशिक्षणार्थी 5000.00 रूपये से अधिक व्यय नहीं किया जा सकेगा.

8. स्वरोजगारियों को प्रदर्शनियों तथा मेले में प्रतिभाग करने हेतु व्ययः

स्वरोजगारियों द्वारा प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेने पर होने वाले व्यय को योजना मद से वहन किया जायेगा.

9. स्वयं सहायता समूह की ग्रेडिंग के समयावधि में शिथिलताः

समूह निर्माण की तिथि से एस.जी.एस.वाई. योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्रुपों की प्रथम तथा द्वितीय ग्रेडिंग हेतु निर्धारित समयावधि 6 माह तथा 12 माह में शिथिलता दी जायेगी.

भवदीय,
(संजीव चोपड़ा)
सचिव

पृष्ठांकन सं0 234/व.ग्रा.वि./2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : आयुक्त ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज निदेशालय पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(संजीव चोपड़ा)
सचिव